



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

**PERMIT TO BULD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA-
LUCKNOW**

PRINT DATE :- 17/03/2017

APPLICATION NO: 52640

FILE NO :

NR-34/EE/M.CELL/2017

WARD:

SCHEME :

NonScheme-MapApproval

PERMIT NO: 41248

SITE OF

GROUP HOUSING

SECTOR :

PROPERTY NO

KH. NO. 45-P & 27-P, AHMAMAU

NAME:

PARTH INFRA BUILD PVT LTD

Address:


3 FLOOR, ELDECO CORPORATE TOWER, VIBHUTI KHAND GOMTI NAGAR LUCKNOW

Sanction vide order dated 23/02/2017 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity: 22/02/2022

or expiry date of Lease deed whichever is earlier

Restriction If Required:


Signature of Competent Authority (BHAWAN)
Under the U.P

प्रतिबन्ध—

1. अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में अंकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
2. भवन निर्माण में नेशनल सेफटी काउंसिल तथा लेबर एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षा प्रबन्धों को सुनिश्चित करना होगा।
3. शासनादेश के क्रम में समस्त भूकम्परोधी प्रबन्ध, रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व वृक्षारोपण, लैण्ड स्केपिंग का विकास आदि का प्रबन्ध सुनिश्चित करना होगा।
4. विकलांग, दृष्टिबाधित व आशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध करना होगा।
5. नेशनल बिल्डिंग कोड. के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना होगा।
6. निर्माणोपरान्त पूर्णता प्राप्त करना होगा तदोपरान्त ही अध्यासन की कार्यवाही की जायेगी।
7. खनन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा।
8. भवन निर्माण में लेबर एक्ट का पालन सुनिश्चित करना होगा।
9. पार्किंग स्थल का प्रयोग पार्किंग के रूप में ही करना होगा, अन्य उपयोग करने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. यदि भविष्य में किसी भी विभाग की कोई देनदारी निकलती है तो मांगे जाने पर अविलम्ब पक्ष को जमा कराना होगा।
9. स्थल पर निर्माण स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करते हुए एक सूचना पट्ट लगाना होगा।
10. प्रश्नगत भूमि/भवन के सम्बन्ध में यदि किसी भी प्रकार का तथ्य छुपाये जाने की पुष्टि होती है तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
11. भू-स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि स्थल पर किसी प्रकार के गढढे न हों तथा उसमें जलभरण न हो, यदि ऐसा पाया जाता है तो उसका भवन मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।
12. बेसमेंट का निर्माण कराते समय अगल-बगल की सम्पत्ति की सुरक्षा का दायित्व पक्ष का होगा किसी प्रकार की क्षति होने पर समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
13. प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार विस्तारित क्षेत्रफल की रजिस्टर्ड कोलेबोरेशन डीड एवं आन्तरिक विकास कार्यों के सापेक्ष रू०-15030850.00 की बैंक गारण्टी 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी।

जवा